# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा राज0

**बईजलास श्री राजेश डागा (आर.ए.एस0)**

मु.नं. 19 / 2020 जी.सी.एम.एस. 2020 / 00025

रामकिशोर पुत्र भवंरलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी कोलानी तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

**वाद अन्तर्गत धारा 88.89 आर.टी.एक्ट इन्द्राज दुरूस्त किये जाने नाम बाबत**

उपस्थित –

वादी की ओर से एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया।

प्रतिवादी राजस्थान सरकार की ओर से– तहसीलदार कनवास।

## निर्णय

दिनांक– 23.03.2021

वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के एकल खाते की आराजी ग्राम कोलानी में खाता संख्या 47 के खसरा नबंर 2 / 118 की रकबा 03 बीघा, खसरा नबंर 2 / 130 की रकबा 13 बिस्वा तथा खसरा नबंर 64 / 119 की रकबा 12 बीघा भूमि कुल खसरा किता 03 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसके खसरा नबंर बाद सेटलमेंट खसरा नबंर 12 रकबा 0.11 है0, खसरा नबंर 35 की रकबा 0.02 है0, खसरा नबंर 36 रकबा 0.46 है0, खसरा नबंर 37 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 174 की रकबा 0.37 है0, खसरा नबंर खसरा नबंर 175 की 1.30 है0, खसरा नबंर 180 की रकबा 0.27 है0, कुल खसरा किता 07 की रकबा 2.54 है0, हैक्टयर कायम हुये परन्तु नाम खातेदार रामकिशोर के स्थान पर सहवन से रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल जाति पूर्विया दर्ज कर दिया जो प्रार्थी के साथ कुठाराघात हुआ है। जिसे दुरस्त कराकर वापस रामकिशोर कराना आवश्यक हो गया है।

इसके अतिरिक्त ग्राम कोलानी के खसरा नबंर 27 की रकबा 0.30 है0, खसरा नबंर 34 की रकबा 0.01 है0, खसरा नबंर 38 की रकबा 0.01 है0, आराजी में वादी का नाम रामकिशोर के स्थान पर किशोरीलाल पुत्र भंवरलाल पूर्विया राजपुत दर्ज हो रहा है, जिसका भी इन्द्राज दुरूस्त कराकर किशोरीलाल के स्थान पर रामकिशोर दर्ज किया जाना आवश्यक है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:57 IST
Reason: SelfAttested

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी तहसीलदार कनवास की तलबी जारी की गई, तहसीलदार कनवास द्वारा 23.03.2021 को जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कोलानी की



उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज0)

आराजी खसरा नबंर 12,35, 36, 37, 174, 175, 180 कुल किता 07 की रकबा 2.54 है0, भूमि रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल जाति पूर्विया सा0देह के खाते दर्ज है, जिसमें वादी का नाम रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल व खसरा नबंर 27, 34, 38 कुल किता 03 की रकबा 0.32 हे0, आराजी किशोरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति पूर्विया राजपुत सा0 देह के खाते दर्ज रिकार्ड है, जिसमें वादी का नाम किशोरीलाल के स्थान पर रामकिशोर आत्मज भंवरलाल दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। एवं इसमें किसी प्रकार से राजहित प्रभावित नहीं होता है।

वादनी द्वारा साक्ष्य के रूप में स्वयं का शपथ–पत्र पेश किया गया, साथ ही आधारकार्ड की फोटो प्रति, पेनकार्ड की फोटो प्रति, बैंक पास बुक की फोटो प्रति, प्रस्तुत की गई । इन दस्तावेजों में वादी का नाम रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज हो रहा है। इससे से हम वादी का नाम ग्राम कोलानी की आराजी खसरा नबंर 12,35, 36, 37, 174, 175, 180 कुल किता 07 की रकबा 2.54 है0, भूमि रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल व खसरा नबंर 27 की रकबा 0.30 है0, , खसरा नबंर 34 की रकबा 0.01 है0, , 38 की रकबा 0.01 है0, कुल किता 03 की रकबा 0.32 हे0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

**आदेश**

अतः वादनी का वाद पत्र स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोलानी की आराजी खसरा नबंर 12,35, 36, 37, 174, 175, 180 कुल किता 07 की रकबा 2.54 है0, भूमि रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जावे साथ ही ग्राम कोलानी के खसरा नबंर 27 की रकबा 0.30 है0, , खसरा नबंर 34 की रकबा 0.01 है0, , 38 की रकबा 0.01 है0, कुल किता 03 की रकबा 0.32 हे0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा
राजेश डागा (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
कनवास

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:57 IST
Reason: SelfAttested

<u>**अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई**</u>

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** **मुकाम कनवास**

**न्यायालय ब इजलास राजेश डागा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)**

मु.नं. 19/2020 जी.सी.एम.एस. 2020/00025

रामकिशोर पुत्र भवंरलाल जाति पूर्विया राजपूत निवासी कोलानी तहसील कनवास जिला कोटा।

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास जिला कोटा राज0।

– प्रतिवादी–

मुकदमा नं. 19 /20 सन् 2020 तारीख फैसला 23.03.2021 **न्यायालय ब इजलास राजेश डागा उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** बहाजरी एडवोकेट श्री नरेन्द्र कुमार कटारिया मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी **राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार कनवास स्वयं** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है अंतिम डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम कोलानी की आराजी खसरा नबंर 12,35, 36, 37, 174, 175, 180 कुल किता 07 की रकबा 2.54 है0, भूमि रामकिशोरी पुत्री भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज किया जावे साथ ही ग्राम कोलानी के खसरा नबंर 27 की रकबा 0.30 है0, , खसरा नबंर 34 की रकबा 0. 01 है0, , 38 की रकबा 0.01 है0, कुल किता 03 की रकबा 0.32 है0, आराजी के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम किशोरीलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर रामकिशोर पुत्र भंवरलाल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नीज ... X ...मुबलिग .... X ...बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **23.03.2021** माह **मार्च 2021** को जारी की गई।

मोहर ................................

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

| मुदई | रूपया | पै. | मुदायलाह | रूपया | पै. |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा ... | ---------NIL--------- | | स्टाम्प वकालतनामा .... | ---------NIL--------- | |
| स्टाम्प वकालतनामा .... | | | स्टाम्प अर्जी .... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत .... | | | महनताना वकील .... | | |
| महनताना वकील .... | | | खर्चा गवाहान .... | | |
| खर्चा गवाहान .... | | | फीस कमिश्नर .... | | |
| फीस कमिश्नर .... | | | बाबत इजराय हुकमनामा .... | | |
| बाबत इजराय हुकमनामा .... | | | मुतफर्रिक .... | | |
| मुतफर्रिक .... | | | मीजान | | |
| मीजान .... | | | | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2021.08.17 12:58:57 IST
Reason: SelfAttested

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हरदो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कनवास (कोटा)

उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)